ई-मेल

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/अ–2/21/2009/7198 भोपाल दिनांक 1/7/09

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषयः– शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता पद पर पदोन्नति उपरांत काउंसलिग के माध्यम से पदस्थापना करने विषयक ।

—0—

उपरोक्त विषय में शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता पद पर पदोन्नत व्याख्याताओं की पदस्थापना तकनीकि कारणो से पुनः काउंसलिग के अनुक्रम में दिनांक 11 एवं 12 जुलाई को शा.उत्कृष्ठ सुभाष उ.मा.वि. शिवाजीनगर भोपाल में प्रातः 10:00 बजे से काउंसलिग की जाना है । उक्त काउंसलिग दो चरणों में विषयवार आयोजित की जायेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

प्रथम चरण			
दिनांक	विषय	काउंसलिग का विषयवार क्रम	चयनित लोक सेवक
11.07.09	गणित	01	01
11.07.09	रसायन शास्त्र	02	03
11.07.09	उर्दू	03	03
11.07.09	जीवविज्ञान	04	04
11.07.09	अंग्रेजी	05	05
11.07.09	भौतिक शास्त्र	06	10
11.07.09	वाणिज्य	07	24
11.07.09	संस्कृत	08	39
11.07.09	अर्थशास्त्र	09	93
11.07.09	इतिहास	10	104
		कुल योग	286
द्वितीय चरण			
12.07.09	भूगोल	01	51
12.07.09	राजनीति शास्त्र	02	87
12.07.09	हिन्दी	03	192
		कुल योग	330

पत्र के साथ काउंसलिग हेतु आमंत्रित किये जाने वाले प्रावधिक लोक सेवको की विषयवार सूची काउंसलिग हेतु निर्धारित क्रम अनुसार तैयार की जाकर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है ।

कृपया अपने जिले से संबंधित पदोन्नत होने वाले लोक सेवको को निर्धारित तिथि पर काउंसलिग स्थल पर उपस्थित होने की सूचना की तामील कराकर निम्नानुसार निर्देश जारी करें :–

1. समस्त व्याख्याताओं के रिक्त पदो की जानकारी दिनांक 31.07.09 की स्थिति में जिला कार्यालय के पटल पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. काउंसलिग में उपस्थित होने वाले विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोक सेवक अपने–अपने प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
3. जो लोक सेवक सेवानिवृत्त हो गये है एवं जिनका आकस्मिक निधन हो गया है उनकी जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी काउंसलिग के दौरान सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
4. यदि किसी लोक सेवक की विभागीय जांच या निलंबन की स्थिति बनती हो तो उसकी जानकारी भी काउंसलिग के दौरान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी काउंसलिग के दौरान सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
5. यदि कोई लोक सेवक वर्तमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था–जिले में कार्यरत नहीं है, तो उसको काउंसलिग सूचना उसके वर्तमान पदस्थापना वाले जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तामील कराई जावेगी ।

उक्त निर्देशों का पालन समय सीमा में कडाई से किया जाना सुनिश्चित करें । काउंसलिग के समय निर्देशों के विपरीत स्थिति निर्मित होने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

"आयुक्त द्वारा आदेशित"

1/7/09

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां. कमांक/स्था.2/अ–2/21/2009/799

भोपाल दिनांक 1/7/09

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल ।
3. समस्त जिला कलेक्टर ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश